बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री पारसनाथ श्रीवास्तव, आपूर्ति निरीक्षक, सदर औरंगाबाद के विरूद्व जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 144 मु0 दिनांक 12.08.2012 द्वारा प्रतिवेदित आरोप पत्र में कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन, कूपन आधारित आवंटन नही करना, जिला स्तरीय तथा अनुमंडल स्तरीय बैठक का अनुपालन नही करनां एवं मनमाने ढंग से उपावंटन करने का मामला प्रतिवेदित किया गया है। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रतिवेदन के आधार पर श्री श्रीवास्तव के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1)(क) के तहत निलंबित करने का निर्णय लिया जाता है।

2 निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव का मुख्यालय जिला आपूर्ति कार्यालय, रोहतास, सासाराम में रहेगा।

3 श्री श्रीवास्तव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4 श्री श्रीवास्तव के विरूद्व विभागीय कार्यवाही का ज्ञाप अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह0 / –
(सुरेश ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र08 गो0 आ0 औरंगाबाद 11 / 2012 6246 खाद्य, पटना दिनांक– 27/9/12

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद / रोहतास, सासाराम / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, औरंगाबाद / रोहतास, सासाराम / प्रशाखा पदा– 03, / श्री अफजल आजमी, आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री पारसनाथ श्रीवास्तव, आपूर्ति निरीक्षक, औरंगाबाद सदर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/9/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:sec-8/ nilaban adesh